

पत्रांक—Tech.-57/16-2022  
अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,  
राँची नगर निगम,  
राँची।

राँची, दिनांक 30-03-16/

प्रसंग :- आपका पत्रांक-7552 दिनांक-01.03.16

विषय :- श्रीमती रूबी मेहता एव अन्य, शिवारीप कुजुर, राज नगर, कृष्णापुरी, चुटिया, राँची के खाता सं०-85, 154, वार्ड सं०-13, ग्राम-चुटिया, आर०एस०प्लॉट सं०-86, 87, 86/1185, थाना सं०-211, चुटिया, राँची, भवन प्लान सं०-BP02/2015/688 में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,


प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित भवन में अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाय।
2. कम से कम 1,50,000 ली० क्षमता का एक अदद अण्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण निर्दिष्ट स्थान पर कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक-एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. 2280 ली०/मि० क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम को जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
5. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प की व्यवस्था रखी जाय।
6. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के उपर 900 ली०/मि० क्षमता का एक-एक अदद टेरस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. भवन में प्रस्तावित दोनों लिफ्ट में से किसी एक को फायर लिफ्ट के रूप में लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के०जी० से कम न हो।
8. सीढ़ियों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
9. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से हीं कराये जायें।
10. N.B.C के अनुसार भवन के सामनेवाले भाग में 12 मी० चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
11. भवन के बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जाय।
12. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

13. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेंटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
14. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया गया है।
16. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें।
17. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करें।
19. प्लान की प्रतियाँ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



30.03.16

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।